

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

इंद्रा देवी

बनाम

नगर विकास न्यास, बीकानेर वगैरह।



किस्म मुकदमा : 75 भू-राजस्व अधिनियम

अपील संख्या 10/2023

GCMS No. 2023/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नो व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.06.2023	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील तहसीलेदार(भूअ) बीकानेर के आदेश दिनांक नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम पक्षकार होने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट इन्द्रा देवी पत्नी विक्रम सिंह के नाम ग्राम पंचायत उदासर का पट्टा संख्या 382 दिनांक 14.05.1998 जारी किया जा चुका है। जिस पर अपीलांट आज दिनांक तक कब्जा है। अपीलांट को ग्राम पंचायत उदासर ने विधि प्रावधानों का पालन कर विधिवत्त पट्टा जारी किया गया है। नगर विकास न्यास बीकानेर के कर्मचारी दिनांक 22.11.2022 को वादग्रस्थ भूमि पर आये और कहने लगे कि उक्त भूमि न्यास की है। नगर विकास न्यास बीकानेर के कर्मचारी ने उक्त भूमि से कब्जा हटाने की धमकी दी। नगर विकास न्यास बीकानेर जाकर पूछताछ की तब मालूम हुआ कि अपीलांट की पट्टेशुदा आवासीय भूमि का तहसीलदार (भूअ) बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 द्वारा नगर विकास न्यास बीकानेर के नाम दर्ज कर दिया।</p>	


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार(मूअ) बीकानेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 को जारी करने से पूर्व अपीलॉट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 8 अपीलॉट को बिना सुने दर्ज किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलॉट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.09.2011 को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अग्निपत्रक श्री मोहम्मद इन्दियाज अली ने दौखाने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर का अपीलाधीन आदेश उचित प्रतिक्रिया होता है परन्तु अपीलॉट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो न्यायोचित होता।

अग्निपत्रक रैसपोडेन्ट संख्या 1 श्री वेमुराज नोनल पुरोहित ने पूर्व में रैसपोडेन्ट संख्या 1 की और से उपस्थित होकर शीघ्र दफालतनामा प्रस्तुत करने का कहा परन्तु आज दिनांक तक उनकी और से दफालतनामा प्रस्तुत नहीं हुआ। रैसपोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 को जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त।

हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अग्निपत्रक अपीलॉट की बहस एवं अपील नोटों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व नन किया। तहसीलदार(मूअ) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 अपीलॉट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जारी हुआ है। अतः तहसीलदार(मूअ) बीकानेर के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 को ग्रन पंचायत उदासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 382 दिनांक 14.05.1998 की हद तक निरस्त कर अपील अपीलॉट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि तहसीलदार(मूअ) बीकानेर प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।



(डॉ. नीरज के. पवन)
समांगीय आयुक्त
बीकानेर